


पक्षकारों एवं भाषकों आदि के हस्ताक्षर



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

27258-216

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

/2016 जिला दतिया

जयेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० फेरन सिंह

रावत

निवासी रामनगर कॉलोनी दतिया म०प्र०

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ

स्टाम्पस दतिया म०प्र०

.....अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 65/सी-132/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2016 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया द्वारा आवेदक के प्रकरण में जो आदेश दिनांक 07/12/2016 को पारित किया गया है वह अवैध अनूचित एवं विधि के अपबंधो के प्रातिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दतिया के न्यायालय में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 23/07/2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया कि क्रेता श्री वीरेन्द्र रावत पुत्र श्री कमल सिंह रावत निवासी ग्राम सनाई तह. बडोनी जिला दतिया द्वारा विक्रेता श्री रामबाबू पुत्र श्री किशोरी अहिरवार निवासी ग्राम कुरथरा तह० बडोनी जिला दतिया म०प्र०

श्री कृष्ण सिंह कुरथरा  
दिनांक दि. 19-12-16 को

19-12-16

820  
19-12-16

(कृष्ण सिंह कुरथरा)  
(23/07/16)

19/12/16

Kingh

फत

B  
19-12-16

श्री कृष्ण सिंह कुरथरा



— 2 —

16/3/18

आवेदन को कोर्ट के "कोर्ट  
 उपस्थित नहीं। पूर्व जेबो पाट  
 डकत कलियवकल एवम डेवर सिट  
 उभावक उपस्थित न। रुकन - ~~रुकन~~  
 रुकन पाट लीन बाट कावाके  
 नगवाके इट्टे। पुकरण कपका  
 कुरवा के सेनापु विना जल  
 के कर्मिनेरु लीन जके।  
 पुकरण वा. रि. हा

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

[क. प. उ.]